पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या —351/2024

वान :

1.हरजिन्द्र सिह पुत्र मेजरसिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 आर.के., इन्द्रसिह वाली ढाणी, राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.चरण कौर पत्नी मेजरसिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 आर.के. इन्द्रसिह वाली ढाणी, राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1.बलजिन्द्र कौर पुत्री मेजरसिह पत्नी प्रेमजीत सिह निवासी खेतरपाल कलोनी सिरसा तहसील व जिला सिसा।

2.बिन्द्र कौर पुत्री मेजरसिह पत्नी जसकरण सिंह निवासी वार्ड नं0 03, नई खुंजा, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवक्ता श्री बलविन्द्रसिह थिन्द :—वादीगण

2 अधिवक्ता हितेन्द्रगोहन सारस्वत :—प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 28/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री बलविन्द्रसिह थिन्द व हितेनद्र मोहन सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 1 आर.के. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता के खाता सं0 60/80 मे दर्ज कुल 1.214 है0 आराजी में से गहेन्द्रसिह के 421/1214 हिस्सा व पूर्णसिह के नाम से दर्ज 42/607 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 1 आर.के. खाता सं0 60/80 मे से मेजरसिह व पूर्णसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/25........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner